महोबा पुलिस

दिनांक- 20.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 81/26

सर्किल- नगर, थाना- खन्ना

महोबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल लोहे का पाइप बरामद।

थाना खन्ना, जनपद महोबा के ग्राम ग्योडी में दिनांक 17.05.2026 को जयहिन्द वर्मा द्वारा शराब के नशे में अपने पिता सुन्दरलाल वर्मा के साथ लोहे के पाइप से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घटना के उपरांत परिजनों द्वारा घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 18.05.2026 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री अर्जुन सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियान के तहत पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 19.05.2026 को उपनिरीक्षक सुरेश कुमार यादव (चौकी प्रभारी ग्योड़ी) मय उपनिरीक्षक राधेश्याम सिंह एवं हमराह हे0का0 लोकेश कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त जयहिन्द वर्मा पुत्र सुन्दरलाल वर्मा निवासी ग्राम ग्योडी थाना खन्ना जनपद महोबा को ग्राम चिचारा कानपुर हाईवे रोड स्थित पावर हाउस तिराहा कहरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लोहे का पाइप भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

जयहिन्द वर्मा पुत्र सुन्दरलाल वर्मा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योडी थाना खन्ना जनपद महोबा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उपनिरीक्षक श्री सुरेश कुमार यादव, चौकी प्रभारी ग्योड़ी थाना खन्ना
2. उपनिरीक्षक श्री राधेश्याम सिंह, थाना खन्ना
3. हे0का0 लोकेश कुमार, थाना खन्ना

दिनांक- 20.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 82/26

महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी, थाना- चरखारी

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री/परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.05.2026 को थानाच चरखारी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम (उ0नि0 हार्दिक सिंह, उ0नि0 विशाल बाजपेई, का0 विवेक कुमार व का0 महेश प्रसाद) द्वारा क्षेत्र में शांति/सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त दीपेन्द्र उर्फ दीपू राजपूत पुत्र महिपाल राजपूत, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को श्मशान घाट के पीछे से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 हार्दिक सिंह, उ0नि0 विशाल बाजपेई, का0 विवेक कुमार, का0 महेश प्रसाद

अभियुक्त का विवरण :

दीपेन्द्र उर्फ दीपू राजपूत पुत्र महिपाल राजपूत, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर

बरामदगी :

एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

महोबा पुलिस

दिनांक- 20.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 83/26

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साइबर थाना का औचक निरीक्षण, प्रभावी कार्यवाही एवं जनजागरूकता पर दिया गया विशेष बल...।

आज दिनांक 20.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित जनपदीय साइबर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साइबर अपराधों से संबंधित लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया कि साइबर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही विवेचना में आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों का अधिकतम उपयोग करते हुए साक्ष्य संकलन को मजबूत एवं अभियोजन की गुणवत्ता को उच्च स्तर का बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना को निर्देशित किया कि आमजन को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किए जाएं, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक एवं OTP फ्रॉड जैसे अपराधों से बचाव के प्रति सजग किया जा सके। साथ ही प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को समयबद्ध राहत एवं न्याय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं पब्लिक-फ्रेंडली वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अभिलेखों—जैसे रजिस्टर, केस डायरी आदि—को नियमित रूप से अद्यतन, सुव्यवस्थित एवं निरीक्षण योग्य स्थिति में रखने हेतु भी निर्देशित किया गया।

महोबा पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम, प्रभावी कार्यवाही एवं जनजागरूकता के लिए सतत एवं प्रतिबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी अपराध श्री गौरव उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री गुलाब त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।